



| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|--|--------------------|
| 17.11.2023 | <p style="text-align: center;">वाद संख्या-57/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बलबीर मुण्डा, पिता-श्री सोमु मुण्डा, ग्राम-रेमटा, पंचायत-सिलादोन, डाकघर, तारो, थाना+जिला-खूँटी दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।</p> <p>शिकायतकर्ता ने आयोग का इस बात के लिये धन्यवाद किया है कि आयोग के हस्ताक्षेप के बाद उन्हें उनका बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग शिकायतकर्ता की सहमति और संतुष्टि के आधार पर इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div> | |